



पुणे मंडल : चिकित्सा विभाग

पुणे मंडल का चिकित्सा विभाग मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(सीएमएस) के अधीन है जिनका नियंत्रण मध्य रेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थित मुख्यालय में प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक (पीसीएमडी) द्वारा किया जाता है।

डॉ.एम.के.रामकृष्णा, मध्य रेल, पुणे के मंडल रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं। उनकी सहायता के लिए मंडल स्तर पर 14 चिकित्सकों तथा अर्ध चिकित्सकीय कर्मचारियों की टीम उपलब्ध है जिसमें 21 नर्स, 10 फार्मासिस्ट, 2 लैब अधीक्षक, 1 रेडीओग्राफर, 15 स्वास्थ्य निरीक्षक तथा अन्य अर्ध चिकित्सकीय एवं देखभाल कर्मचारी शामिल हैं।

चिकित्सा विभाग के क्रियाकलापों में उपचार एवं स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

क्र.संख्या	नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर
1	डॉ. एम. के. रामकृष्ण	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	7219613500
2	डॉ. एस.एम.आठवले	अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/	7219613501
3	डॉ. ए.के. शुक्ला	अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / दंत चिकित्सा	7219613503
4	डॉ. ए.एस.निकालजे	अपर मुख्य चिकित्सा	7410086992
5	डॉ. ए.के. मिश्रा	वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी / बाल रोग	7219613502
6	डॉ नीति आहुजा	वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी	7219613504
7	डॉ. सारिका परगे	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी / त्वचा	7219613511
8	डॉ. शीतल वाघमार	मंडल चिकित्सा अधिकारी	7410086995
9	डॉ.नवीन कुमार	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी / एनेस्थेसिया	7219613516
10	डॉ. शीतल खरात	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी / प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	7219613512
11	डॉ.मंजूनाथ बारकर	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी/ ऑर्थोपेडिक	7219613508
12	डॉ.वंदना सैनी	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी/ घोरपडी	7410086993
13	डॉ.श्रवण कुमार	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी/ सातारा	7219613507
14	डॉ सतीष मंडाला	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी/ मिरज	7219613514
15	डॉ जॉन वेस्ली टी	सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी/ मिरज	7219613515
16	डॉ. गौतम सालुंखे	एचवीएस / ऑर्थोपेडिक	
17	डॉ. बोस्की तेलंग	एचवीएस / नेत्र रोग विशेषज्ञ	
18	श्रीमती लिली ब्रिटो	नर्सिंग विभाग प्रभारी	7219613513
19	श्री. गायकवाड	एएचओ/	7219613522

पुणे में 50 बेड वाले मंडल अस्पताल में सामान्य तथा आपात्कालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध हैं तथा रेलवे के लाभार्थियों के लिए

पुणे और मिरज में अन्य चिकित्सा सुविधा सरकारी तथा नामित अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। पुणे में इनके

दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन सेवा

एआरएमई स्केल -I पुणे और मिरज में

एआरएमई स्केल - II सातारा में

पीओएमकेए पुणे मंडल अस्पताल में तीन सेट

एक -एक सेट मिरज,घोरपडी तथा सातारा स्वास्थ्य यूनिट में

मंडल रेलवे अस्पताल, पुणे में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं -

क) ओपीडी सेवाएं

1.ओपीडी सेवाएं - परामर्श(जनरल)

2.विशेषज्ञ सेवाएं - जनरल सर्जरी, औषधि, हड्डी, प्रसव एवं प्रसूति, बालरोग, नेत्र

3. दंत ओपीडी और दंत सर्जरी

4. कर्मचारियों का आवधिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उम्मीदवारों की प्रारंभिक चिकित्सा जांच

5. प्रसवपूर्व पंजीकरण, प्रसूति, नेमी एक्सरे, प्रयोगशाला सुविधाएं

6. सीटीस्कैन और एमआरआई स्कैन(बाहर से)

7. टीकाकरण

8.हैमोडायलिसिस

9. फिजीओथेरेपी

ख) आंतरिक उपचार - चिकित्सा, प्रसूति, नेत्र, हड्डी, बालरोगियों के उपचार के लिए 50 बेड वाला अस्पताल

ग) आपात्कालीन तथा ऍंब्युलंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध

घ) दूसरे अस्पतालों में भेजने की सुविधा उपलब्ध तथा रोगियों को निम्नलिखित अस्पतालों में भेजा जाता है-

- डॉ.भीमराव आंबेडकर मेमोरिअल रेलवे अस्पताल, भायखला (क्षेत्रीय अस्पताल)
- ससून जनरल अस्पताल(सरकारी अस्पताल)
- नामित प्राइवेट अस्पताल(पुणे में इनलेक्स एण्ड बुधरानी अस्पताल,नोबल अस्पताल,ग्लोबल अस्पताल, रांका अस्पतालऔरपवना अस्पतालतथा मिरज में वैनलैस मेडिकल सेंटर)

ड:) प्रयोगशाला प्रक्रिया -

ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री तथा ऑटोमेटिक ब्लड एनालाइजर उपलब्ध

संपूर्ण मूल रक्त बायोकेमिस्ट्री तथा अन्य प्रयोगशाला जांच की जाती हैं।

च) परिवारकल्याण -

एचआआईवी/ एड्स- एचआआईवी और एड्स मामलों की निगरानी की जाती हैं।

सभी राष्ट्रीय और राज्य-स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा टीकाकरण को लागू किया गया है।

छ) स्वास्थ्य सेवाएं-

खाने में मिलावट को रोकने के लिए जांच की जाती हैं।

पीने के पानी की जांच की जाती है।

स्वच्छता कर्मचारी तथा उनके पर्यवेक्षण की जांच

15 स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा मंडल की स्वच्छता की व्यवस्था की जाती हैं।

जल निकासी-

खुली नालियों का रखरखाव स्वास्थ्य विभाग द्वारा तथा भूमिगत नालियों का रखरखाव इंजीनियरी विभाग द्वारा किया जाता है। जल निकासी पीएमसी की भूमिगत सीवर लाइनों से जुड़ी हुई है।

पीने के पानी का स्रोत तथा वितरण -

पुणे और मिरज में पीने के पानी की आपूर्ति इंजीनियरी विभाग द्वारा की जाती है जिसकी स्वास्थ्य विभाग जांच करता है। क्लोरीनेशन का परीक्षण स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा बैक्टेरिया की जांच रेलवे के माध्यम से राज्य की प्रयोगशालाओं में की जाती है।

ज) उपलब्ध दस्तावेज-

भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल

अनुशासन और अपील नियम 1968

एफएसएसए अधिनियम

1) दस्तावेज सूचना के लिए उपलब्ध नहीं कराए जाते

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के पैरा 8 जे को कार्यान्वित करने के लिए ये अभिलेख गोपनीय होने के कारण उपलब्ध नहीं कराए जाते-

- पीएमई अभिलेख
- एचआईवी रिपोर्ट
- आंतरिक तथा ओपीडी मामलों के अभिलेख (संबंधित रोगियों तथा अस्पताल में मृत्यु के मामले को छोड़ कर)

